

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक 08 /वि.स. /संपदा/ 2019

रायपुर, दिनांक 03-01-2019

// फोटोकॉपी मशीन क्रय हेतु निविदा //

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में फोटोकॉपी मशीन हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मों से दिनांक 25 जनवरी 2019 को सायं 3.00 बजे तक बॉय बैक ऑफर के तहत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें / जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है अथवा विधान सभा सचिवालय की वेबसाइट WWW.cgvidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

20 से 25 पीपीएम फोटो कॉपी मशीन विवरण-प्रपत्र

क्र.	निविदाकर्ता फर्म का नाम/फोन नम्बर	मॉडल	मेमोरी साईज 32 MB (न्युनतम)	रिजोल्यूशन 600dpi (न्युनतम)	जूम 50-200% (न्युनतम)	पेपर ट्रे 2X250 ट्रे + बायपास ट्रे	डिजिटल/एनालॉग	फ्लैश/कैबल	फ्लैश/कैबल	वारंटि अवधि	दर	बायबैक आफर दर	दर (कर सहित)	अन्य

हस्ताक्षर / सील

40 से 45 पीपीएम फोटोकॉपी मशीन विवरण-प्रपत्र

क्र.	निविदाकर्ता फर्म का नाम / फोन नम्बर	मॉडल	मेमोरी साईज 64 MB (न्युनतम)	रिजोल्यूशन 600dpi (न्युनतम)	जूम 25-400% (न्युनतम)	पेपर ट्रे 2X500 ट्रे + बायपास ट्रे (न्युनतम)	द्विचित्रक हार्डवेयर	फोटोकॉपी	मिनी प्रिंटर	वारंटि अवधि	दर	बायबैक आफर दर	दर (कर सहित)	अन्य

हस्ताक्षर / सील

// निविदा की शर्तें/जानकारी//

1. मशीनों की दरें प्रति नग समस्त कर सहित तथा दरों की वैधता अवधि उल्लेखित करते हुए देनी होगी ।
2. 02 नग शार्प ए.आर. 5320 क्रय वर्ष 2008 फोटो कॉपी मशीनें बॉयबैक की जाना है । पुरानी मशीनों का अवलोकन कार्यालीन समय पर सचिवालय की संपदा शाखा में किया जा सकता है ।
3. निविदाकर्ता को प्रस्तावित मशीनों के ब्रोशर भी संलग्न करने होंगे । मशीन के संबंध में रिसोल्यूशन, जूम, कम्प्यूटर कनेक्टिविटी, मेमोरी साईज, डुपलेक्स सुविधा, ऑटोमैटिक डाक्यूमेंट फीडर, ट्रे एवं उनकी कैपेसिटी, स्केनिंग की जानकारी संलग्न प्रपत्र में स्पष्ट देनी होगी । प्रपत्र हस्ताक्षरित (सील सहित) प्रस्तुत करना होगा ।
4. मशीनों के वार्षिक रख - रखाव दर का पृथक उल्लेख करना होगा ।
5. मशीनों की गारंटी/वारंटी अवधि का उल्लेख करना होगा ।
6. यदि आवश्यक हुआ तो मशीनों का डेमो सचिवालय में स्वयं के व्यय पर करना होगा ।
7. निविदाकर्ता का वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन अनिवार्य होगा ।
8. निविदाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के आयकर गणना पत्रक की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी
9. अधिकृत विक्रेता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
10. मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण सचिवालय के कर्मचारी को निशुल्क देना होगा ।
11. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत के रूप में राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक की राशि रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की एफ.डी. (सावधि जमा) सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा ।
12. भावपत्र/प्रस्ताव एवं अमानत राशि की एफ.डी. पृथक-पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।

13. 01 नग (20-25 पी.पी.एम. स्पीड) एवं 01 नग (40-45 पी.पी. एम. स्पीड) कम्प्यूटर कनेक्टिविटी सहित क्रय किया जाना विचाराधीन है । क्रय किये जाने वाली मशीनों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है ।
14. सचिवालय द्वारा क्रय आदेश प्रदाय की तिथि से अधिकतम 30 दिवस के अन्दर वांछित सामग्री सचिवालय में स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः पहुंचानी होगी ।
15. आदेशित सामग्री निर्धारित गुणवत्ता में निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।
16. निविदा प्रस्ताव विधानसभा भवन स्थित अनुभाग अधिकारी, संपदा शाखा कक्ष क्रमांक-बी-7 के पास दिनांक 25 जनवरी 2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।
17. निविदा को मान्य या अमान्य करने का प्राधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।
18. किसी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा रायपुर का होगा